अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम भोजरास

द्वारका पिता छोगा खारोल बनाम पीयू पिता अमरा गुर्जर
निवासी भोजरास निवासी भोजरास

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रेवे. एक्ट **प्रकरण संख्या– 30/2018**

07.05.18	पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट भोजरास पर पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।
	हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 मौजा भोजरास तहसील हुरडा की आराजी नं. 722 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, 724 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, 725 रकबा 10 बिस्वा, 726 रकबा 12 बिस्वा, 727 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, 2517 रकबा 12 बिस्वा, 2518 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, 2519 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, 2520 रकबा 04 बीघा 17, 1177 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, 1316 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, 2330 रकबा 31 बीघा, 2368 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, 1320 रकबा 15 बिस्वा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।
	–:आदेश:–
	प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा भोजरास तहसील हुरडा की आराजी नं. 722 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, 724 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, 725 रकबा 10 बिस्वा, 726 रकबा 12 बिस्वा, 727 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, 2517 रकबा 12 बिस्वा, 2518 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, 2519 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, 2520 रकबा 04 बीघा 17, 1177 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, 1316 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, 2330 रकबा 31 बीघा, 2368 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, 1320 रकबा 15 बिस्वा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक– रुपाहेली को 7,500/–रूपये (अक्षरे– सात हजार पॉच सौ रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी **एवं पदेन सहायक कलेक्टर** **गुलाबपुरा कैम्प**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा–भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner